टिप्पणी (धारा 72)

नियम—इस धारा से संबंधित नियम के लिए पुस्तक के भाग दो देखें।

[1][**धारा 72-क. वार्ड समितियों का गठन**—(1) यदि परिषद् वार्ड समिति के गठन का विनिश्चय करती है तो नगरपालिका परिषद् या नगर पंचायत के क्षेत्र में उसका गठन किया जा सकेगा।

(2) परिषद् यथास्थिति, नगरपालिका परिषद् या नगर पंचायत क्षेत्र के भीतर गठित की जाने वाली वार्ड समितियों की संख्या और ऐसी प्रत्येक वार्ड-समितियों के प्रादेशिक क्षेत्र अवधारित करने के लिए सक्षम होगी :

परन्तु किसी वार्ड समिति के प्रादेशिक क्षेत्र में सम्मिलित किये गये वार्ड समीपस्थ होंगे।

(3) किसी वार्ड समिति के प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर किसी वार्ड का प्रतिनिधित्व करने वाला प्रत्येक निर्वाचित पार्षद, और ऐसी वार्ड समिति के प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर निवास करने वाले दो व्यक्ति, जो कि अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएं, उस समिति के सदस्य होंगे :

परन्तु केवल ऐसे व्यक्ति, जो पार्षद के रूप में निर्वाचन के लिये पात्र हैं, इस प्रकार नामनिर्दिष्ट किया जाएगा :

परन्तु यह और कि केवल उन व्यक्तियों को ही, जिन्हें नगरपालिक प्रशासन में विशेष ज्ञान या अनुभव है, वार्ड समिति के अध्यक्ष की सिफारिश पर नामनिर्दिष्ट किया जाएगा और इस प्रकार नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों को वार्ड समितियों के सम्मिलन में मत देने का अधिकार नहीं होगा।

(4) वार्ड समिति अपने प्रथम [2][सम्मिलन जैसा कि विहित किया जावे] में, निर्वाचित पार्षदों में से एक पार्षद को वार्ड समिति के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित करेगी जो यथास्थिति, नगरपालिका परिषद् या नगर पंचायत की अवधि पर्यन्त पद धारण करेगा।

(5) राज्य सरकार, वार्ड समितियों के कृत्य तथा शक्तियों और उनके कार्य संचालन के लिये प्रक्रिया विहित करेगी।]

[3][**धारा 72-ख. मोहल्ला समितियों का गठन तथा उनकी संरचना**—[4][(1) प्रत्येक नगरपालिका परिषद् एवं नगर पंचायत के निर्वाचन के पश्चात् प्रथम सम्मिलन की तिथि से [5][यथासंभव शीघ्र] के भीतर मोहल्ला समितियों का गठन किया जाएगा।

(2) मोहल्ला समितियों की संख्या और उनके भौगोलिक क्षेत्र का अवधारण, सदस्यों की संख्या तथा समितियों के कृत्य, शक्तियां और कार्य संचालन ऐसी रीति से होगी, जैसी कि

---

1. अधिनियम क्रमांक 12 सन् 2000 द्वारा अन्तःस्थापित। म.प्र. राजपत्र (असाधारण) दिनांक 21-5-2000, पृष्ठ 599-600(3) पर प्रकाशित।
2. छत्तीसगढ़ नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम क्रमांक 10 सन् 2004 द्वारा (1-1-2005 से प्रयोज्य) प्रतिस्थापित। छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) दिनांक 1-1-2005, पृष्ठ 2-2(2) पर प्रकाशित।
3. अधिनियम क्रमांक 12 सन् 2000 द्वारा अन्तःस्थापित। म.प्र. राजपत्र (असाधारण) दिनांक 21-5-2000, पृष्ठ 599-600(3) पर प्रकाशित।
4. छत्तीसगढ़ नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2005 (क्रमांक 11 सन् 2005) द्वारा प्रतिस्थापित। छ.ग. राजपत्र (असाधारण) दिनांक 25-8-2005, पृष्ठ 402(5) पर प्रकाशित।
5. छत्तीसगढ़ नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2005 (क्रमांक 11 सन् 2006) द्वारा प्रतिस्थापित। छ.ग. राजपत्र (असाधारण) दिनांक 8-2-2006, पृष्ठ 98 पर प्रकाशित।

राज्य सरकार द्वारा अवधारित किया जाय।]

(3) संबंधित वार्ड का निर्वाचित पार्षद किसी वार्ड के प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर की समस्त मोहल्ला समितियों का सदस्य होगा।

(4) परिषद् मोहल्ला समितियों का प्रादेशिक क्षेत्र अवधारित करने के लिए सक्षम होगी: परन्तु किसी मोहल्ला समिति के प्रादेशिक क्षेत्र में सम्मिलित किये गये क्षेत्र समीपस्थ होंगे।

(5) राज्य सरकार, मोहल्ला समितियों के कृत्य तथा शक्तियां और उनके कार्य संचालन के लिये प्रक्रिया विहित करेगी।]

धारा 73. समिति के सम्मिलन से अनुपस्थिति—समिति का कोई भी सदस्य, जो किसी भी ऐसी समिति के, जिसका वह सदस्य है, समस्त सम्मिलनों में अध्यक्ष की अनुमति के बिना लगातार तीन मास तक अनुपस्थित रहता है, ऐसी समिति का सदस्य नहीं रहेगा और ऐसे सदस्य के रूप में उसका पद रिक्त हो जाएगा तथा वह उस समिति की अनवसित अवधि के दौरान ऐसी समिति के लिए पुनः निर्वाचित किये जाने का पात्र नहीं होगा।

धारा 74. किसी भी समिति में की आकस्मिक रिक्तियां—यदि किसी भी समिति के किसी सदस्य के पद में आकस्मिक रूप से रिक्ति होती है, तो परिषद् ऐसी रिक्ति होने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, उस रिक्ति को भरने के लिए अपने सदस्यों में से एक को निर्वाचित करेगी और इस प्रकार निर्वाचित किया गया प्रत्येक पार्षद अपने पूर्वाधिकारी की अनवसित पदावधि तक के लिए पद पर बना रहेगा।

[1][**धारा 75. समिति का सभापति**—अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष प्रत्येक समिति का, यदि वह ऐसी समिति का सदस्य है, सभापति होगा। उस दशा में जबकि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष ऐसी समिति का सदस्य नहीं है, तो समिति अपने निर्वाचित पार्षदों में से किसी एक को उसका सभापति निर्वाचित करेगी। यदि सभापति अनुपस्थित है तो समिति के सदस्य निर्वाचित पार्षदों में से किसी एक को अध्यक्षता के लिए चुनेंगे।]

धारा 76. समिति के सम्मिलन की प्रक्रिया—(1) समिति जब भी वह उचित समझे तब अपना सम्मिलन कर सकेगी और उसे स्थगित कर सकेगी किंतु समिति का सभापति जब कभी वह उचित समझे तब, और परिषद के अध्यक्ष या समिति के कम से कम दो सदस्यों के लिखित निवेदन पर ऐसी समिति का विशेष सम्मिलन बुलाएगा।

(2) यदि किसी समिति का सभापति नगरपालिका क्षेत्र से पंद्रह दिन से अधिक कालावधि तक अनुपस्थित रहे या अध्यक्ष द्वारा या समिति के कम से कम दो सदस्यों द्वारा लिखित निवेदन किये जाने पर भी विहित कालावधि के भीतर समिति का सम्मिलन बुलाने में असफल रहे, तो अध्यक्ष या अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष उसका सम्मिलन बुला सकेगा।

---

1. अधिनियम क्रमांक 12 सन् 1995 द्वारा प्रतिस्थापित। म.प्र. राजपत्र (असाधारण) दिनांक 1-5-1995 में प्रकाशित।

48. Election of Special Committees for Consultative Purposes -- The Corporation may also appoint from time to time and for such period as it may think fit, special Committees, consisting of such number of Councillors, as it may think fit, and may refer to such Committees for inquiry and report, or for opinion, any matter relating to the purpose of this Act.

[1][48-A. Constitution and Composition of Wards Committees -- (1) There shall be constituted Wards Committees within the territorial area of a Municipal Corporation having a population of three lakhs or more. [2][The Wards Committee shall be constituted within thirty days from the date of election of Speaker under sub-section (1) of Section 18] :

[3][Provided that the Corporation having a population of less than three lakhs may also constitute wards committees in its territorial area.]

(2) The number of Wards Committees in a corporation shall be equal to the population of the Municipal area divided by one lakh :

Provided that fractions less than half shall be omitted and the fractions equal to half or more shall be rounded off to the next whole number.

(3) The number of wards included in the territorial area of Wards Committees of the Corporation shall, as nearly as possible be equal.

(4) The Corporation shall be competent to determine the territorial area of the Wards Committees :

-- 48. परामर्श संबंधी आशयों के लिए विशेष समितियों का निर्वाचन -- निगम, समय-समय पर और ऐसे काल के लिए जिसे वह उचित समझे, विशेष समितियों को भी नियुक्त कर सकेगा, जिनमें पार्षदों की इतनी संख्या होगी जितनी वह उचित समझे, और ऐसी समितियों को इस अधिनियम के आशयों से संबंधित कोई भी विषय जाँच तथा रिपोर्ट के लिए या मत के लिए प्रेषित कर सकेगा।

-- [1][48-क. वार्ड समितियों का गठन तथा उनकी संरचना -- (1) तीन लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले किसी नगरपालिक निगम के प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर वार्ड समितियों का गठन किया जाएगा। [2][वार्ड समिति का गठन धारा *23 की उपधारा (1) के अधीन अध्यक्ष के निर्वाचन की तारीख से तीस दिन के भीतर किया जाएगा] :

[3][परन्तु तीन लाख से कम जनसंख्या वाले निगम भी अपने प्रादेशिक क्षेत्र में वार्ड समितियाँ गठित कर सकेंगे।]

(2) किसी निगम में वार्ड समितियों की संख्या उतनी होगी जो नगरपालिक क्षेत्र की जनसंख्या को एक लाख से विभाजित करने पर प्राप्त होती है :

परन्तु आधे से कम भाग की संगणना नहीं की जाएगी और आधे के बराबर या उससे अधिक भाग को निकटतम पूर्ण अंक तक पूर्णांकित किया जाएगा।

(3) निगम की वार्ड समिति में सम्मिलित वार्डों की संख्या यथाशक्य निकटतम एक जैसी होगी।

(4) निगम, वार्ड समितियों का प्रादेशिक क्षेत्र अवधारित करने के लिए सक्षम होगा :

1. Subs. by M.P. Act No. 16 of 1994, published in M.P. Gazette (Extraordinary) dated 30-5-1994.
2. Subs. by M.P. Act No. 18 of 1997, published in M.P. Gazette (Extraordinary) dated 21-4-1997.
3. Ins. by M.P. Act No. 12 of 2000 published in M.P. Gazette (Extraordinary) dated 2-5-2000.

* "23" के स्थान पर "18" होना चाहिये।

Provided that the wards included in the territorial area of a Wards Committee shall be contiguous.

(5) Every elected Councillor representing a ward within the territorial area of a Wards Committee and two persons residing within the territorial area of such Wards Committee as may be nominated by the Mayor shall be the members of that Committee.

Provided that only a person who is otherwise not ineligible for election as a Councillor shall be so nominated.

[1][Provided further that only persons having special knowledge or experience in the municipal administration shall be nominated on the recommendation of the Chairman of the Wards Committee and the persons so nominated shall not have voting rights in the meetings of the Wards Committee.]

(6) The Wards Committee shall, at its first [2][meeting in the prescribed manner] elect one of the elected Councillors to be its Chairman who shall hold office until the duration of the Municipal Corporation :

[3][Provided that where the Speaker is a Member of any Wards Committee the Speaker shall be the *ex-officio* Chairman of such Wards Committee.]

(7) The State Government shall prescribe, the functions, and powers of Wards Committees and the procedure for the conduct of their business.]

[4][48-B. Constitution and Composition of Mohalla Committees

परन्तु किसी वार्ड समिति के प्रादेशिक क्षेत्र में सम्मिलित किए गए वार्ड समीपस्थ होंगे ।

(5) किसी वार्ड समिति के प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर के किसी वार्ड का प्रतिनिधित्व करने वाला प्रत्येक निर्वाचित पार्षद और ऐसी वार्ड समिति के प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर निवास करने वाले दो व्यक्ति, जो महापौर द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएँ, उस समिति के सदस्य होंगे :

परन्तु केवल ऐसा व्यक्ति, जो पार्षद के रूप में निर्वाचन के लिए अन्यथा अपात्र नहीं है, इस प्रकार नामनिर्दिष्ट किया जाएगा :

[1][परन्तु यह और भी कि केवल उन व्यक्तियों को ही, जिन्हें नगरपालिक प्रशासन का विशेष ज्ञान या अनुभव है, वार्ड समिति के अध्यक्ष की सिफारिश पर नामनिर्दिष्ट किया जाएगा और इस प्रकार नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों को वार्ड समितियों के सम्मिलन में मत देने का अधिकार नहीं होगा ।]

(6) वार्ड समिति अपने प्रथम [2][विहित रीति में सम्मिलन] में अपने निर्वासित पार्षदों में से एक सदस्य को वार्ड समिति के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित करेगी जो अपना पद नगरपालिक निगम की अवधि पर्यन्त धारण करेगा :

[3][परन्तु जब अध्यक्ष किसी वार्ड समिति का सदस्य है तो अध्यक्ष ऐसी वार्ड समिति का पदेन सभापति होगा ।]

(7) राज्य सरकार, वार्ड समितियों, के कृत्य तथा शक्तियाँ और उनके कार्य संचालन के लिए प्रक्रिया विहित करेगी ।]

[4][48-ख. मोहल्ला समितियों का गठन तथा उनकी संरचना -- (1) प्रत्येक नगरपालिक

1. Ins. by M.P. Act No. 12 of 1995, published M.P. Gazette (Extraordinary) dated 1-5-1995.
2. These words substituted by M.P. Act No. 29 of 2003 for the word "meeting", published in M.P. Gazette (Extraordinary) dated 25-8-2003. **Applicable only in Madhya Pradesh.** (छ.ग. राज्य में पूर्ववत् शब्द "सम्मिलन" पढ़ा जाएगा ।)
3. Subs. by M.P. Act No. 18 of 1997, published in M.P. Gazette (Extraordinary) dated 21-4-1997.
4. Ins. by M.P. Act No. 12 of 2000, published in M.P. Rajpatra (Asadharan) dated 2-5-2000.

-- (1) In every Municipal area which is notified by the State Government in this behalf, the Mohalla Committees shall be constituted within three months from the date of notification.

(2) The number of Mohalla Committees and the number of members shall be such as the State Government may by order prescribe from time to time.

(3) The elected Councillor of Ward concerned shall be a member in all the Mohalla Committees within the territorial area of any ward.

(4) The Corporation shall be competent to determine the territorial area of Mohalla Committees :

Provided that the Mohal has included in the territorial area of any Mohalla Committee shall be contiguous.

(5) The State Government shall prescribe the functions and powers of the Mohalla Committees and the procedure for the conduct of their business.]

क्षेत्र में, जिसे इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है, अधिसूचना की तारीख से तीन मास के भीतर मोहल्ला समितियों का गठन किया जाएगा।

(2) मोहल्ला समितियों की संख्या और सदस्यों की संख्या ऐसी होगी जैसी कि राज्य सरकार, समय-समय पर, आदेश द्वारा विहित करे।

(3) संबंधित वार्ड का निर्वाचित पार्षद किसी वार्ड के प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर की समस्त मोहल्ला समितियों का सदस्य होगा।

(4) निगम, मोहल्ला समितियों का प्रादेशिक क्षेत्र अवधारित करने के लिए सक्षम होगा :

परन्तु किसी मोहल्ला समिति के प्रादेशिक क्षेत्र में सम्मिलित किए गए क्षेत्र समीपस्थ होंगे।

(5) राज्य सरकार, मोहल्ला समितियों के कृत्य तथा शक्तियाँ और उनके कार्य संचालन के लिए प्रक्रिया विहित करेगी।]

CHHATTISGARH STATE AMENDMENT

Amendment of Section 48-B -- For sub-sections (1), (2), (3), (4) and (5) of Section 48-B of Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) the following shall be substituted, namely :-

(1) The Mohalla Committees shall be constituted within [1][as soon as possible] from the date of first meeting of the Council after the election of each Municipal Corporation.

(2) The number of Mohalla Committees and determination of their territorial area, number of Members and functions, powers and

छत्तीसगढ़ राज्य संशोधन

धारा 48-ख का संशोधन -- छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 48-ख की उपधारा (1), (2), (3), (4) एवं (5) के स्थान पर निम्नलिखित स्थापित किया जाए, अर्थात् :-

(1) प्रत्येक नगरपालिक निगम के निर्वाचन के पश्चात् प्रथम सम्मिलन की तिथि से [1][यथासंभव शीघ्र] के भीतर मोहल्ला समितियों का गठन किया जाएगा।

(2) मोहल्ला समितियों की संख्या और उनके भौगोलिक क्षेत्र का अवधारण, सदस्यों की संख्या तथा समितियों के कृत्य, शक्तियाँ और कार्य

1. Subs. by C.G. Act No. 10 of 2006 for the words "six month", published in C.G. Rajpatra (Asadharan) dated 8-2-2006. **Applicable only in C.G.**